

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

गण (प्रार्थना पत्र सं.)	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
61/20	53,188 RTA	कड़वा हट	रुडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मोहनलाल	बनाम	माधोलाल	

वकील :- राभनिवास वैश्व एडवो.      आदेश पत्रक      वकील :-

दिनांक      कार्यवाही एवं आदेश      विविध संदर्भ

9/20

अभिभाषक वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 8/12/20 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*

8/12/20

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13/01/21 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

13/1/21

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13/01/21 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

3/2/21 पत्रावली पेश हुई। कठुलगाह पुलिस उपखण्ड प्रतिवादी गण 1 ता 4 व 6,7 के वाद तालिका समस्त प्राप्त। प्रतिवादी कुल 1 व 2 की ओर से श्री हेमराज कुशवाह एडवो. एक 6 की ओर से श्री हेमराज कुशवाह एडवो. का कसालत नाम पेश हुआ। प्रतिवादी कुल 3 व 4 के वाद सुनना के अनुपादित। इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही भी जाती है। प्रति कुल 5 की तलवी/तल गण पेश करें। बाक़े तलवी पत्रावली दिनांक 01/03/21 को पेश हो।

*(Handwritten signature)*

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए परीकेत उपस्थित  
 प्रतिकारी क्रम 1, 2 व 6 की ओर से जवाब पेश नहीं  
 हुआ है। और 5 की प्रति क्रम 5 का तलबगी पेश  
 हुआ। समझ — जाया है वरखे जवाब। तलबगी  
 पत्रावली दिनांक 25/22 को पेश हो।

जा

2/22

न्यायालय अधिकारी के अन्तर्गत स्थिति में  
 व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में  
 दिनांक 20/6/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
 छबड़ा (बारा)

20/22

पत्रावली पेश हुई। वकील भाषी एवं वकील प्रतिकारी  
 अनुपस्थित। वकील भाषी को एक एक कर तीन बार  
 भीकत लगावाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण  
 अदालत हाजरी अदालत पेश की खारिज किया जाता है  
 पत्रावली फैसल सुनार सुनार दाखिल दफ्तर हो।